क्रम संख्या–59 (क)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2025 ई0

आषाढ़ 03, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्या 424/XVIII(3)/2025–02(06)2025

देहरादून, 24 जून, 2025

जनपद पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़ की सीमा चौकी द्वालीसेरा हेतु ग्राम द्वालीसेरा की 0.520 है भूमि के अधिग्रहण की धारा–11 की अधिसूचना

कलेक्टर, पिथौरागढ़/समुचित सरकार
राजस्व विभाग

संख्याः– 33/भू0अ0–एस0एस0बी0 पिथौरागढ़(द्वालीसेरा)/2024–25

दिनाँक– अप्रैल 03, 2025

प्रारम्भिक अधिसूचना (शुद्धि पत्र)

55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़ की सीमा चौकी द्वालीसेरा हेतु ग्राम द्वालीसेरा में 0.520 है0 भूमिधरों की नाप भूमि को "उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनस्थार्पन एवं पुर्नवास अधिनियम 2013" प्राविधानों के अन्तर्गत धारा–11 (1) 40(4) के अन्तर्गत दिनांक 25 जून ,2024 को जारी प्रारम्भिक अधिसूचना के कम में श्री जगत सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, निवासी द्वालीसेरा द्वारा दिनाक 28.06.2024 को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र के कम में न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी डीडीहाट के आदेश दिनांक 05.12.2024 के द्वारा अधिसूचना के कम संख्या–01 में खेत नम्बर–2239 से 2366 अंकित श्री डम्बर सिंह, अनिल सिंह पुत्रगण श्री शेर सिंह का विलोपित करते हुए अन्य काश्तकारों के नाम एवं खेत नम्बर तद्नुसार दिनांक 25 जून , 2024 को जारी अधिसूचना यथावत समझी जाय।

अतः जिला–पिथौरागढ़, तहसील **कनालीछीना** के ग्राम **द्वालीसेरा** में उक्त योजना के लिए 0.520 **हैक्टेयर** नाप भूमि को जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाऐं	वृक्ष		संरचनाएं	
							किस्म	सं0	प्रकार	कुर्सी एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	2339 2340 2341 2342 2343 2344 2347 2348 2349	श्रेणी 1(क)	निजी नाप भूमि	0.009 0.026 0.024 0.003 0.024 0.019 0.009 0.031 0.003	जगत सिंह पुत्र विशन सिंह, दान सिंह पुत्र विशन सिंह, प्रेम सिंह पुत्र राम सिंह	पूर्व दिशा में– रौली एवं नाप भूमि स्थित है । पश्चिम– राज्य सरकार की भूमि एवं गधेरा। उत्तर– राज्य सरकार की भूमि एवं गधेरा। दक्षिण– राज्य सरकार की भूमि।	खेत सं0 2344, 2348 में दानसिंह पुत्र विशनसिंह के आम के वृक्ष	02	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2350म0	श्रेणी 1(क)	निजी नाप भूमि	0.036			खेत सं0 2350 में जगतसिंह पुत्र विशनसिंह के आम के वृक्ष	02	—	—
	2351म0			0.004						
	2353म0			0.002						
	2354म0			0.012						
	2355म0			0.010						
	2356			0.023						
	2365			0.014						
	2366			0.011						
02	2357	श्रेणी 1(क)	निजी नाप भूमि	0.011	होशियार सिंह पुत्र ठग सिंह, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अस्कोट, पदम सिंह पुत्र ठग सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह, गोमती देवी पत्नी कल्याण सिंह, देव सिंह पुत्र चतुर सिंह, लाल सिंह पुत्र चतुर सिंह, शेर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अस्कोट, विक्रम सिंह पुत्र गोपाल सिंह	पूर्व दिशा में– रौली एवं नाप भूमि स्थित है । पश्चिम– राज्य सरकार की भूमि एवं गधेरा। उत्तर– राज्य सरकार की भूमि एवं गधेरा। दक्षिण– राज्य सरकार की भूमि।	—	—	—	—
	2358			0.009						
	2359			0.016						
	2360			0.004						
	2361			0.013						
	2362			0.018						
	2363			0.009						
	2364			0.015						
	2367			0.005						
	2368			0.023						
	2369			0.016						
	2370			0.016						
	2371			0.010						
	2372			0.015						
	2373			0.009						
	2374			0.009						
	2375			0.005						
	2376			0.003						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2379			0.010			—	—	—	—
	2380			0.009						
	2381			0.008						
	2382			0.006						
	2383			0.008						
	2389			0.001						
	2390			0.008						
	2391			0.004						

अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है। भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर, पिथौरागढ़/उप भूमि–अध्याप्ति अधिकारी, कार्यालय पिथौरागढ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किये जा सकेंगे।

चूंकि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ की सीमा चौकी द्वालीसेरा की स्थापना हेतु ग्राम द्वालीसेरा की भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिस पर अधिनियम की धारा 40(4) के प्राविधान लागू होते है। अत्एव अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न करने का विनिश्चिय किया गया है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर,
पिथौरागढ़।

डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 राजस्व/306–2025–100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।